



ई-पत्रा0 सं0-80-2099/10/2026

उत्तर प्रदेश शासन  
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2  
संख्या- 4 /2026/3976503/अस्सी-2-2026  
लखनऊ: दिनांक 15 जून,2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि ग्राम बदौली, परगना गोपामऊ, तहसील व जिला हरदोई में मै0घासीराम एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लि0, ग्राम-हूंसेपुर, पोस्ट गोण्डाराव अहिरोरी, तहसील व जिला हरदोई के स्वामित्वाधीन नीचे ब्यौरेवार क्षेत्र इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पाँच (05) वर्ष की अवधि के लिये विनिर्दिष्ट खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मेन्था, गुड़ एवं फल-सब्जी के थोक सौदों के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उपस्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

मंडी उपस्थल की खसरा एवं चौहददी

कृषि उत्पादन मंडी समिति, हरदोई के मंडी क्षेत्र में स्थित ग्राम बदौली, परगना गोपामऊ, तहसील व जिला हरदोई के गाटा सं0-1439ख , क्षेत्रफल 0.4050हे0।

पूरब-	ग्राम समाज भूमि- (ऊसर) गाटा संख्या 1624, गाटा संख्या 1439घ एवं गाटा संख्या 1623 अवध किशोर ।
पश्चिम-	भूमि नवदीप कुमार आदि गाटा संख्या 1439क ।
उत्तर -	हरदोई सीतापुर मुख्य मार्ग ।
दक्षिण-	ग्राम समाज भूमि (ऊसर) गाटा संख्या 1439 घ ।

आज्ञा से,

रविन्द्र  
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या- 4 /2026/3976503/अस्सी-2-2026, तददिनांक**

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक **15** जून,2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक,कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय,उ०प्र०लखनऊ।
3. निदेशक,राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ०प्र०,लखनऊ।
4. जिलाधिकारी,हरदोई।
5. सहायक विपणन अधिकारी,लखनऊ।
6. सम्भागीय उप निदेशक(प्रशा०/विप०),राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ।
7. ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक,हरदोई ।
8. सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति,हरदोई ।
9. श्री आशुतोष तिवारी , पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवारी , फर्म मै०घासीराम एग्री फार्मर प्रो० क० लि०, ग्राम-हूंसेपुर, पोस्ट गोण्डाराव अहिरोरी, तहसील व जनपद हरदोई।
10. गार्ड बुक।

टी०के०शिबु  
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**Uttar Pradesh Shasan**  
**Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2**

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.- 4 /2026/3976503/80-2-2026, dated 15 June ,2026:

**NOTIFICATION**

**No-4 /2026/3976503/80-2-2026**

**Lucknow; Dated 15 June, 2026**

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No.25 of 1964) read with rule 58-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali ,1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed below owned by M/s Ghasiram Agro Farmer Producer Company Ltd., Village-Hunsepur, Post Gondarao Ahirori, Tehsil and District Hardoi on Village Badauli, Pargana Gopamau, Tehsil and District Hardoi, shall function as Market Sub-Yard for wholesale transaction of specified food grains, pulses, oilseeds, mint, jaggery, fruits and vegetables for a period of Five (05) years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, with the condition that no market fee shall be charged from agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

**Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard**

Gata no. 1439 <b>kha</b> , area 0.4050 hectare, of Village Badauli, Pargana Gopamau, Tehsil and District Hardoi, situated in the market area of Agricultural Produce Market Committee, Hardoi.	
<b>East</b>	Land of Graam Samaaj- Gata no. 1624, Gata no. 1439 <b>gha</b> (Usar) And Gata no.1623 Awadh kishore.
<b>West</b>	Land of Navdeep Kumar etc. Gata no.1439 <b>ka</b> .
<b>North</b>	Hardoi-Sitapur main road.
<b>South</b>	Land of Graam Samaaj (Usar) Gata no.1439 <b>gha</b> .

**By order,**

**Ravinder**  
**Principal Secretary.**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।